



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235895
CG-DL-E-20052022-235895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2198]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944

No. 2198]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2318(अ).—केन्द्रीय सरकार को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के राजपत्र संख्या 352 दिनांक 17.01.2022, राजपत्र संख्या 344 दिनांक 27.01.2022 के पेट्रोलियम, अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का निश्चय किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त गेल (इंडिया) लिमिटेड में निहित होगा!

**श्रीकाकुलम -अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना
भूमि अनुसूची**

जिला-श्रीकाकुलम

राज्य : आंध्र प्रदेश

मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर
नरसनपेटा	मदपाम	145/7	00	0	27
		145/1	00	0	62
		74	00	3	18
		75/3	00	21	33
		76/22	00	0	23
		77	00	37	1
		80	00	3	8
		71	00	0	24
		82	00	3	24
		83/5	00	23	83
		83/10	00	1	1
		83/4	00	0	7
		83/6	00	8	8
		83/8	00	0	23
		83/7	00	4	24
		85/13	00	0	23
		109	00	21	68
		113/3	00	0	38
		113/2	00	1	69
		113/1	00	2	66
		110/11	00	7	68
		110/10	00	5	5
		110/8	00	4	49
		110/7	00	2	32
		110/5	00	4	97
		110/4	00	5	28
		110/2	00	0	1
		110/3	00	4	19
		111/10	00	2	35
		111/8	00	2	50
		111/9	00	9	80
		103	00	3	19
		102/2	00	1	75
		102/3	00	8	21
		Banshadhara River	00	62	69

[फा. सं. एल-14014/104/2022-जीपी-II (ई-42942)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2318(E).—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 352 (E), dated.17.01.2022 issued under sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right Of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) in the Extra Ordinary Gazette of India No. 344, dated 27.01.2022 and respectively in the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that Notification for the purpose of laying pipe line from SAPL Srikakulam to Angul in SRIKAKULAM District in the State of Andhra Pradesh by the GAIL (India) Ltd., Srikakulam;

AND WHEREAS copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 27. 01. 2022.

AND WHEREAS objections have been received from the land owners for laying of gas pipeline and disposed off as per Appendix-C.

AND WHEREAS the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government.

AND FURTHER WHEREAS the Central Government has, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipe line, has decided to acquire the Right of User their in.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedules appended to this Notification hereby acquired for laying the pipe line.

AND FURTHER in exercise of power conferred by Sub-Section (4) of the Section 6 of the said act, the Central Government here by directs that the Right of User in the said lands for laying the pipe line shall instead of vesting in the Central Government vest, on the date of the publication of this declaration, in the GAIL (India) Limited proposing to lay the pipe line and there up the Right of such User in the land shall subject to the terms and conditions so imposed, vest in the GAIL (India) Ltd., free from encumbrances.

**SRIKAKULAM – ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT
LAND SCHEDULE**

District-Srikakulam**State : Andhra Pradesh**

Name of Mandal	Name of Village	Survey no.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
Narasannapeta	Madapam	145/7	00	0	27
		145/1	00	0	62
		74	00	3	18
		75/3	00	21	33
		76/22	00	0	23
		77	00	37	1
		80	00	3	8
		71	00	0	24
		82	00	3	24
		83/5	00	23	83
		83/10	00	1	1
		83/4	00	0	7
		83/6	00	8	8

	83/8	00	0	23
	83/7	00	4	24
	85/13	00	0	23
	109	00	21	68
	113/3	00	0	38
	113/2	00	1	69
	113/1	00	2	66
	110/11	00	7	68
	110/10	00	5	5
	110/8	00	4	49
	110/7	00	2	32
	110/5	00	4	97
	110/4	00	5	28
	110/2	00	0	1
	110/3	00	4	19
	111/10	00	2	35
	111/8	00	2	50
	111/9	00	9	80
	103	00	3	19
	102/2	00	1	75
	102/3	00	8	21
	Banshadhara River	00	62	69

[F. No. L-14014/104/2022-GP - II(E-42942)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.